पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 284/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 13.09.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक- 13.09.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाहियां की गयीः-

01.थाना तहबरपुरः विद्यालय से सामान चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरणः—

अवगत कराना है कि आवेदक वीरेन्द्र कुमार राय पुत्र स्व0 रमाशंकर राय प्रधान लिपिक राष्ट्रीय इण्टर कालेज तहबरपुर ग्राम तहबरपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ बहमराह विक्की राय पुत्र लोकेन्द्र राय सा0 तहबरपुर थाना तहबरपुर आजमगढ़ व एक व्यक्ति चोरी से सम्बन्धित धन्जू गौड़ पुत्र जोखन ग्राम तहबरपुर जनपद आजमगढ़ मय चोरी के सामान पाइप (प्लास्टिक) एक लेंथ, एक तसला, एक दुरमुस तथा एक फर्नीचर का टुकड़ा के साथ थाना तहबरपुर पर लिखित तहरीर दिया कि दिनाक- 12.09.2024 को समय करीब 19.30 बजे विद्यालय रा0इ0का0 तहबरपुर आजमगढ़ मे से पाइप(प्लास्टिक) एक लेंथ एक तसला, एक दुरमुस तथा एक फर्नीचर का टुकड़ा को धन्जू गौड़ पुत्र जोखन गौड़ ग्रा0 तहबरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा चोरी कर लिया गया तथा आस-पास के लोगो द्वारा धन्जू उपरोक्त को मय समान पकड लिया गया। के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 196/24 धारा 305,317(2) बीएनएस बनाम 1.धन्जू गौड़ पुत्र जोखन गोड निवासी ग्रा0 तहबरपुर थाना-तहबरपुर जनपद-आजमगढ़ पंजीकृत कर दिनांक- 12.09.2024 को उ0नि0 लोकेशमणि त्रिपाठी मय हमराह द्वारा नियमानुसार गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

02. थाना बिलरियागंजः दुकान से चोरी गये सामान व नकदी के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 22.07.2024 को वादी मुकदमा सन्तोष कुमार पुत्र स्व0 हरिप्रसाद सोनकर सेल्स मैन देशी शराब की दुकान चरनई आजमगढ़ हा0मु0 बैजुआपार थाना बिलरियागंज आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 22.07.2024 की रात में अज्ञात चोर द्वारा दुकान के बाहर लगे दो सी सी टी बी कैमरा तोड़कर,तथा दुकान में लगे बाहर के तीन तालों को तोड़कर दुकान मे घुसकर कैश बाक्स व कागजात का थैला व कुछ शीशी शराब व खेत में दुकान के पीछे फेका गया थैला जिसमें करीब 12 हजार पाँच सौ रुपये गायब हो गया है, के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 265/24 धारा 331(4),305,324(4) वी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था ।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 12.09.2024 को उ0नि0 अवधेश कुमार उपाध्याय मय हमराह उपरोक्त चोरी के अभियोग में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त मो0 परवेज पुत्र स्व0 दिल मोहम्मद निवासी ग्राम गाजी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व हाल पता ननिहाल ग्राम पिपरहा दुलियावर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को 01 चोरी की मोबाइल व 1200 रूपये के साथ ग्राम भगवानपुर से समय 15.40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0सं0 265/24 धारा 331(4),305,324(4),317(2) BNS थाना बिलरियागंज आजमगढ़ ।

2.मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 312/24 धारा 303(2),317(2) BNS थाना बिलरियागंज आजमगढ़ ।

03.थाना रानी की सराय: गोवध में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक- 13.09.2024 को व0उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह द्वारा थाना रानी की सराय पर पंजीकृत मु0अ0स0 218/2024 धारा 3/5A/ 8 गोबध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 से सम्बन्धित अभियुक्त इरशाद अहमद पुत्र स्व0 नेसार अहमद निवासी मोहल्ला पुरा सोफी तुन थाना मुबारकपुर आजमगढ उम्र करीब 50 वर्ष को सेमरहा अण्डर पास हाइवे के पास समय करीब 10.40 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

04.थाना पवई: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक शातिर अपराधी गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 13.09.2024 को उ0नि0 अमित कुमार मिश्रा थाना पवई आजमगढ़ मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान सोनू नोना पुत्र संते नोना निवासी अतरडीहा थाना सरपतहा जनपद जौनपुर को एक नाजायज कट्टा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ हमीरपुर अण्डरपास से समय करीब 02.30 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना पवई पर पर मु0अ0स0 311/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम सोनू उपरोक्त पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 311/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ
2. मु0अ0सं0 21/18 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर अधिनियम थाना सरपतहां जनपद जौनपुर
3. मु0अ0सं0 365/17 धारा 380/457/511 भादवि थाना सरपतहां जनपद जौनपुर
4. मु0अ0सं0 702/17 धारा 382/411 भादवि थाना सरपतहां जनपद जौनपुर

05. थाना जहानागंजः किशोरी को भगाने वाला बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना- अवगत कराना है कि दिनांक 20.08.2024 को थाना जहानागंज के वादी मुकदमा थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ नें थाना उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 19.08.24 को मेरी लडकी जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष है को 1. बालअपचारी व बालअपचारी के परिजन 2. आरती देवी पत्नी मोहित चौहान, 3. मोहित चौहान पुत्र जितेन्द्र चौहान, 4. प्रिती चौहान पुत्री मोहित चौहान, 5. अन्नु चौहान पुत्री मोहित चौहान निवासीगण सिही थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा लड़की भगाने में सहयोग करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 430/24 धारा 137(2), 87, 61(2)(A) BNS पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरणः- आज दिनांक 13.09.24 को उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बालअपचारी को सीही से परदेशी मोड़ से समय करीब 10.30 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।